

30-7-21

पणवली पेशा हुई प्रार्थी रिहापाल सिद्धि की ओर  
 से प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया उक्त  
 है कि उक्त प्रकरण में निर्णय हो चुका है यहाँ  
 खब नं 1677/997 में खातेदार परिवारी नं 2  
 के उक्त भूमि परिवारी नं 4 को खिन्न कर  
 दिया था। सद्वत से संशोधित डाइरल में  
 परिवारी नं 4 का नाम खंटा की भूल से दर्ज नहीं  
 होते से निर्णय में खब नं 1677/997 की भूमि  
 परिवारी नं 2 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित  
 कर दिये थे। उक्त एक प्राचीन एक खंटा की  
 भूल है जिसे इकस किया जाना न्यायोचित है।  
 अतः प्रार्थना पत्र पेश कर दर्ज है कि भूमि खब  
 नं 1677/997 का खातेदार परिवारी नं 2 के  
 स्थान पर परिवारी नं 4 को खातेदार दर्ज नहीं  
 करने एवं संशोधित डाइरल में परिवारी नं 4 का नाम  
 लाल स्याही से दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।  
 प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिहापाल का स्वीकार किया जाना  
 भूमि खब नं 1677/997 का खातेदार परिवारी नं 2  
 के स्थान पर परिवारी नं 4 को खातेदार दर्ज  
 करने के आदेश फरमाये जाते हैं एवं निर्णय दिनांक  
 4-5-2021 एवं खिन्न में लाल स्याही से संशोधित  
 किया जाना है। परिवारी नं 4 के स्थान पर प्रार्थी  
 रिहापाल को लाल स्याही से अंकित किया  
 जाना है। नया लाल सिपाया को तद्वरी प्रार्थी  
 कर आदेश दिये जाते हैं इन्फानुसट निर्णय  
 की पालना में खातेदार परिवारी नं 4 के  
 नाम राज्य रिकार्ड में भूमि खब नं 1677/  
 997 की भूमि दर्ज करें। पणवली दाखील  
 इस्त है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
 (फास्ट ट्रैक) बिहावा

